

दिनांक 28.05.2019 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में राज्य बीज उपसमिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति— संचिका में संधारित।

डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं बायर बायो साईन्स प्रा० लि० द्वारा विकसित विभिन्न फसल प्रभेदों को केन्द्रीय बीज समिति को राज्य के लिए विमुक्त एवं अधिसूचित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर दिनांक 28.05.19 को राज्य बीज उपसमिति की बैठक प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में नामित सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श हेतु आहुत की गयी थी।

दिनांक 28.05.19 को प्रधान सचिव, कृषि द्वारा सभी सदस्यों की उपस्थिति में बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु निदेशित किया गया। तत्पश्चात् कार्यावली के अनुसार संबंधित फसल प्रभेद के प्रजनक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत प्रजेन्टेशन दिया गया, जिसपर उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत् है—

1. राजेन्द्र गेहूं-1 (Rajendra Gehun-1)- डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा विकसित राजेन्द्र गेहूं-1 के संबंध में गत बैठक में भी विचार किया गया था। उक्त प्रभेद के संबंध में उत्तर बिहार किसान मोर्चा के सचिव, श्री सोमेश सिंह द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जांच हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया था। जिसके संबंध में बिन्दुवार जवाब निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर से मांगा गया था। प्रजनक वैज्ञानिक द्वारा फसल प्रभेद के संबंध में उठाये गये आपत्ति से संबंधित बिन्दुवार स्पष्टीकरण एवं प्रभेद की विशिष्टियों से सभी संबंधित सदस्यों को प्रजेन्टेशन के द्वारा बताया गया, जिसपर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

राजेन्द्र गेहूं-1 से संबंधित विशिष्टियों यथा कम अवधि एवं उच्च उत्पादकता के साथ इसमें जिंक एवं लौह तत्व की अच्छी मात्रा को देखते हुए समिति के सभी सदस्यों द्वारा राज्य के किसानों के लिए विमुक्त करने एवं इसको अधिसूचित करने हेतु केन्द्रीय बीज समिति को अनुशंसा भेजने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. राजेन्द्र गन्ना-1- डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा विकसित राजेन्द्र गन्ना-1 के संबंध में गत बैठक में भी विचार किया गया था। राज्य के छः चीनी मिलों के महाप्रबंधक से इस प्रभेद के प्रत्यक्षण परिणाम की मांग की गयी थी। उनके द्वारा प्रभेद को राज्य के लिए उपयोगी बताया गया है।

प्रभेद के विशिष्टियों एवं चीनी मिल के प्रक्षेत्रों पर किये गये प्रदर्शन को देखते हुए समिति के सभी सदस्यों द्वारा राज्य के किसानों के लिए विमुक्त करने एवं इसको अधिसूचित करने हेतु केन्द्रीय बीज समिति को अनुशंसा भेजने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. सबौर सम्पन्न- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा विकसित धान प्रभेद सबौर सम्पन्न जो सुखारोधि के साथ—साथ बाढ़रोधि प्रभेद है के संबंध में प्रजनक वैज्ञानिक द्वारा दिये दिये प्रजेन्टेशन के संबंध में समिति द्वारा पृच्छा की गयी कि सुखारोधि एवं बाढ़रोधि प्रभेद के दोनों गुण से संबंधित प्रत्यक्षण एक ही प्लॉट पर सम्पादित किये गये हैं। प्रजनक वैज्ञानिक द्वारा बताया गया कि दोनों गुणों से संबंधित प्रत्यक्षण अलग—अलग प्लॉटों पर किये गये हैं। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि एक ही प्लॉट पर प्रभेद के सुखारोधि एवं बाढ़रोधि गुणों का प्रत्यक्षण कराया जाय। तत्पश्चात् पुनः समिति के समझ विचार के लिए लाया जाय।

तत्काल सबौर सम्पन्न धान प्रभेद को बिहार के किसानों के लिए विमुक्त नहीं करने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

4. धान प्रभेद 'स्वर्णा समृद्धि' (IET 24306), 'स्वर्णा शक्ति धान' (IET 25640)- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पूर्वी अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित दोनों धान प्रभेदों को राज्य के लिए अनुशंसित एवं केन्द्रीय बीज समिति को अधिसूचित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर संबंधित प्रजनक वैज्ञानिक के अनुपरिथित रहने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श नहीं किया गया।

5. अन्यान्य मामले के तहत डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा विकसित मक्का प्रभेद- राजेन्द्र हाइब्रीड मक्का-4 (DMRH-1308) एवं राजेन्द्र चना-1 के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया।

5.1 राजेन्द्र हाइब्रीड मक्का-4 (DMRH-1308)- मक्का प्रजनक द्वारा प्रभेद की विशिष्टियों से संबंधित प्रजेन्टेशन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा मक्का प्रभेद के पौधों की मध्यम ऊंचाई, परिपक्वता अवधि एवं उत्पादकता को देखते हुए इसे रबी मौसम के लिए उपयुक्त पाया गया।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा राज्य के किसानों के लिए विमुक्त करने एवं इसको अधिसूचित करने हेतु केन्द्रीय बीज समिति को अनुशंसा भेजने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5.2 राजेन्द्र चना-1- चना प्रजनक द्वारा प्रभेद की विशिष्टियों से संबंधित प्रजेन्टेशन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रभेद में प्रोटीन की मात्रा संबंधित आंकड़े एवं प्रभेद के रोग प्रतिरोधक गुण के जोनवार आंकड़ों को पुनः जांच कर लेने हेतु सुझाव दिया गया। तत्काल समिति द्वारा प्रभेद को होल्ड पर रखने का निर्णय लिया गया।

6. 'एराईज 6129 गोल्ड' (IET 22878) एवं 'एराईज तेज गोल्ड' (IET 24120)- बायर बायो साईन्स प्रा० लि० द्वारा विकसित दोनों संकर धान प्रभेद जो CVRC द्वारा अधिसूचित प्रभेद है को राज्य के लिए अनुशंसित करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। दोनों प्रभेदों का प्रत्यक्षण डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में कराया गया है। विश्वविद्यालय के रिसर्च काउंसिल की अनुशंसा के साथ दोनों प्रभेदों को राज्य के लिए विमुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है। कम्पनी के धान प्रजनक द्वारा समिति के समक्ष दोनों प्रभेदों का प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त दोनों प्रभेदों को राज्य के लिए अनुशंसित करने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना

ज्ञापांक— 9 / उपा० / बीज उपसमिति—42 / ०८ 2976 पटना, दिनांक 19/06/2019

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग / कृषि निदेशक / उद्यान निदेशक / निदेशक, चावल निदेशालय, भारत सरकार, पटना / निदेशक एवं कुलपति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली / कुलपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर / कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी क्षेत्र, पटना / निदेशक अनुसंधान, डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर / निदेशक अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / प्रधान वैज्ञानिक धान, मक्का, धनियां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली / अध्यक्ष पौधा प्रजनक एवं अनुवंशिकी, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर / क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लि०, पटना / विपणन प्रबंधक, उत्तराखण्ड तराई विकास बीज निगम / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० / निदेशक, पी०पी०एम० / निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑगेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी, पटना / संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान / उप निदेशक (शाष्य) बी० नि० / उप निदेशक (शाष्य) बी०वि० / उप निदेशक (शाष्य) प्रक्षेत्र / सभी संबंधित फसलों के प्रजनक / उप निदेशक (शाष्य), बीज / सचिव केन्द्रीय बीज समिति—सह—उपायुक्त (गु०नि०), कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, एफ०—२१२, शास्त्री भवन, नई दिल्ली—११०००१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृ०

३

प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना